ीख क्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.01.26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उप. कायम मुकाम प्रति.सं. 1, लगा. 1/5 की ओर से वकालतनामा श्री महेश मीणा एड. द्वारा पेश किया। वास्ते पेश करने संशोधित शीर्षक एवं प्रतिवादीगण के जवाब हेतु 18.02.26 को पेश हो।	
18-02-26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उप. संशोधित शीर्षक पेश किया। वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 21.04.26 को पेश हो।	
21.04.26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादी वकील ने जवाब देने से इन्कार किया। अतः उनका जवाब बन्द किया जाता है। बहस पर सुना गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भलीभांति अवलोकन किया गया। अवलोकन पर पाया कि विवादित भूमि का कोई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन नहीं हुआ है। अतः सहखातेदारान का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाना वाजिब है। ऐसी सूरत में अनावश्यक मुकदमा बाजी नहीं बढ़े एवं कानूनी पेचीदगीयां पैदा नहीं हो। चूंकि पक्षकारान सह-खातेदारान है तथा उनके हकों का निर्धारण मौके में विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् एवं गुणावगुण के आधार पर हो सकेगा। तब तक अन्य सहखातेदारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं पाते है। तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अंतर्गत धारा 212 RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। तथा न्यायालय हाजा द्वारा जारी शुदा अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 11.03.25 को भी निरस्त किया जाता है। पत्रावली पेशल शुमार होकर नंबर से कम हो, तथा संलग्न मूल वाद हो। उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर) राज.	